



आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ
	<p>प्रतिवेदित किया गया है कि विक्रेता द्वारा धारित कुल भूमि का रकवा 2.14 एकड़ है एवं बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास परिवार के भरण-पोषण हेतु अन्य खाता में लगभग 9.49 एकड़ भूमि बच जाता है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही जिला पश्चिमी सिंहभूम के निवासी हैं तथा दोनों 'हो' जाति के हैं तथा अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आता है।</p> <p>अतः आवेदक के आवेदन, अंचल अधिकारी, मझगाँव एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में आवेदित भूमि मौजा- आसनपाट, थाना संख्या- 447, खाता संख्या- 216, प्लॉट संख्या- 1556 एवं 1561, रकवा- 2.14 एकड़ भूमि क्रेता रंजु सिंघु, पिता- सुरेश सिंघु, ग्राम- आसनपाट, थाना- मझगाँव, परगना- कोल्हान, जिला- पश्चिमी सिंहभूम जाति 'हो' (अनुसूचित जनजाति) के अन्तर्गत आते हैं, को आवेदित राशि अथवा सरकार द्वारा निर्धारित राशि जो अधिक हो पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 46(1) प्रोभिजो 'ए' के अन्तर्गत बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p> अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।</p> <p> 2/11/2020 अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।</p>	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ
	<p>अभिलेख उपस्थापित। यह अभिलेख श्री सुरेश सिंक्ु, पिता- स्व० लंका सिंक्ु, निवासी ग्राम- आसनपाट, थाना- मझगाँव, परगना- कोल्हान, जिला- पश्चिमी सिंहभूम जो अनुसूचित जनजाति अन्तर्गत 'हो' जाति के है, के द्वारा खाता संख्या- 216, प्लॉट संख्या- 1556 एवं 1561, रकवा- 2.14 एकड़ भूमि जो मौजा- आसनपाट, थाना संख्या- 447, परगाना- कोल्हान, जिला- पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित है, क्रेता रंजु सिंक्ु, पिता- सुरेश सिंक्ु, ग्राम- आसनपाट, थाना- मझगाँव, परगना- कोल्हान, जिला- पश्चिमी सिंहभूम जाति 'हो' (अनुसूचित जनजाति) के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत बिक्री किये जाने की अनुमति की मांग को लेकर प्रारम्भ किया गया है। आवेदन के साथ क्रेता एवं विक्रेता का स्थानीय निवासी/जाति प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। विक्रेता श्री सुरेश सिंक्ु का जाति प्रमाण पत्र संख्या- JHCC/2018/1514184 दिनांक- 03.12.2018 है, जो अंचल अधिकारी, मझगाँव द्वारा निर्गत है, एवं क्रेता रंजु सिंक्ु को निर्गत जाति प्रमाण पत्र संख्या- JHCC/2017/801118 दिनांक- 07.07.2017 है, जो अनुमण्डल पदाधिकारी, जगन्नाथपुर द्वारा निर्गत है। विक्रेता श्री सुरेश सिंक्ु को निर्गत निवासी प्रमाण पत्र संख्या- JHRC/2018/1251768 दिनांक- 26.11.2018 एवं क्रेता रंजु सिंक्ु को निर्गत निवासी प्रमाण पत्र संख्या- JHRC/2016/842276 दिनांक- 06.01.2017 है, जो अनुमण्डल पदाधिकारी, जगन्नाथपुर द्वारा निर्गत है। प्रमाण पत्र के अनुसार क्रेता एवं विक्रेता मझगाँव अंचल के अधिकारी मौजा ^{आसनपाट} के निवासी है, जो मझगाँव थाना के अंतर्गत आता है तथा इनका जाति 'हो' है जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आता है। अंचल अधिकारी, मझगाँव से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी थी, जिसके आलोक में उनके पत्रांक- 268 दिनांक- 05.11.2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। अंचल अधिकारी, मझगाँव एवं ग्रामीण मुण्डा द्वारा आवेदित भूमि विक्री करने की अनुशंसा की गयी है। आवेदित भूमि पंजी II में विक्रेता श्री सुरेश सिंक्ु के नाम से दर्ज है। ^{आसनपाट} दिनांक 17.11.2020 को क्रेता, विक्रेता एवं ग्रामीण मुण्डा की उपस्थिति में सुनवाई की गई है। ग्रामीण मुण्डा गणेश सिंक्ु द्वारा लिखित व्यान दिया गया है कि आवेदित भूमि आवेदक के दखल एवं हिस्सा में है एवं विक्री करने के बाद विक्रेता के पास भरण-पोषण हेतु 9.49 एकड़ से अधिक भूमि शेष बच जाता है।</p>	

अंचल अधिकारी, मझगाँव एवं ग्रामीण मुण्डा के द्वारा विक्री अर्जा की